अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी- 44 /2014

ए0एल0बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,

1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःजून 24 ,2014

विषय- क्रिमिनल अपील संख्याः259/2009 जोशिन्दर यादव बनाम स्टेट आफ बिहार में मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 20.1.2014 में दिये गये आदेश के अनुपालन के विषय में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

इस उर्पयुक्त विषयक सन्दर्भ में पार्श्वंकित परिपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में ही दिये किये जा चुके हैं। शासनादेश संख्याः एच0सी0 -18/छः-पु0-9-2014 दिनांक 10.04.2014 द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका संख्याः क्रिमिनल अपील संख्याः259/2009 के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 20.01.2014 में दिये गये आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में पुनः निम्न निर्देश दिये जाते हैंः-

परिपत्र संख्या-डीजी-05/13 दिनांक 29.01.13 परिपत्र संख्या-डीजी-08/13 दिनांक 02.03.13 परिपत्र रांख्या डीजी 46/913 दिनांक 17.8.13

2. ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें प्वॉयजनिंग के कारण मृत्यु की आशंका हो, में पोस्टमार्टम के तत्काल पश्चात् नियमानुसार विसरा प्राप्त करके उसका सैम्पुल विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अतिशीघ्र उपलब्ध कराये और इस संबंध में यदि उनके स्तर पर कोई विलम्ब आदि परिलक्षित हो तो दायित्व निर्धारण के उपरान्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का भली-भॉति अध्ययन कर कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ए0एल0बनर्जी) 24/06/14

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

संलग्नकःयथोपरि।

कृ0प0उ0.....

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।

फैक्स

सं0–एच0सी0–18/छः–पु0–9–2014

प्रेषक,

एस0 के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0 प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक : 10 फरवरी, 2014

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनिल अपील संख्या–259/2009 जोशिन्दर यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार में दि0 20.01.14 को पारित आदेश का अनुपालन।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनिल अपील संख्या–259/2009 जोशिन्दर यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार में दि0 20.01.14 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं :–

"Having noticed that, in several cases where poisoning is suspected, the prosecuting agencies are not taking steps to obtain viscera report, we feel it necessary to issue certain directions in that behalf. We direct that in cases where poisoning is suspected, immediately after the post-mortem, the viscera should be sent to the FSL. The prosecuting agencies should ensure that the viscera is, in fact, sent to the FSL for examination and the FSL should ensure that the viscera is examined immediately and report is sent to the investigating agencies/courts post haste. If the viscera report is not received, the concerned court must ask for explanation and must summon the concerned officer of the FSL to give an explanation as to why the viscera report is not forwarded to the investigating agency/court. The criminal court must ensure that it is brought on record. We have examined the merits of the case and held that the appeal deserves to be dismissed. In the circumstances, the appeal is dismissed.

A copy of this order be sent to the Registrar Generals of all the High Courts with a direction to circulate the same to all subordinate Criminal Courts; to the Director of Prosecution, to the Secretary, Ministry of Home Affairs, to the Secretary, Home Department and to the Director, Forensic Science Laboratory within the jurisdiction of the respective High Courts."

2– इस संबंध में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0–पीएस(आरजी)/27/2014, इलाहाबाद दि0 01.02.14 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे आपराधिक प्रकरणों जिनमें प्वॉयजनिंग के कारण मृत्यु की आशंका हो, में पोस्टमार्टम के तत्काल पश्चात्

नियमानुसार विसरा प्राप्त करके उसका सैम्पुल विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 को टेस्टिंग हेतु अविलम्ब प्रेषित किया जाये जिनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे विसरा की टेस्टिंग रिपोर्ट संबंधित को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अतिशीघ्र उपलब्ध करायें और इस संबंध में यदि उनके स्तर पर कोई विलम्ब आदि परिलक्षित हो तो दायित्व निर्धारण के उपरान्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।

अतः अनुरोध है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दिशा–निर्देशों से समस्त संबंधित को अवगत कराते हुए उपरोक्त के संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत करने और उपरोक्त निर्देशों की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0–पीएस (आरजी)/27/2014:इलाहाबाद दि0 01.02.14 के संदर्भ में।
5. उप महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0–पीएस(आरजी)/27/2014:इलाहाबाद दि0 01.02.14 के संदर्भ में।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।